

प्रेषक,

आशीष तिवारी  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,  
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,  
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 01 जनवरी, 2019

विषय :- जनपद वाराणसी में इलाहाबाद-वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 11.691 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों एवं 48 पौधे कुल 101 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/07/03/2019/एफसी/578 दिनांक 16.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1507/11-सी-एफपी/यूपी/रेल/29433/2017 दिनांक 28.01.2019 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख शासन को उपलब्ध करायी गई है, जो इस प्रकार है :-

Observ No	Observation of GOI	Reply
1-	Details of Muck disposal scheme including place of dumping/disposal has not been submitted, which needs submission.	Generally in this project no significant quantity of muck will be generated. As tip 15 cm of soil layer released information preparation is used for turfing of formation slope.
2-	Cross sectional Map of the track with justification of area of proposed Forest diversion needs to submitted.	Bare minimum area essential for information and movement of material has been taken for track-laying sketch is attached.
3-	NOC of the concerned department for use of areas at crossing points with Road must be submitted.	NOC at crossing points with road is not required as there is no curtailment of any facility to any road user. It is clarified Road traffic will not be affected during execution. However our track is passing under ROB (218/500-600) for which NOC is being obtained from concerned department. Here sufficient clearance is available as per schedule of dimensions & thus NOC will be arranged soon. Copy of letter is attached.

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 28.01.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं/अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या-227(1)/14-2-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।